

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 4-3/2017/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2017

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
भोपाल।

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ विशेषज्ञों को व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में।



ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं छोटे कस्बों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं अन्य परिस्थितियों के कारण चिकित्सकों द्वारा उनकी व्यावसायिक दक्षता का पूर्ण उपयोग न कर पाने एवं दक्षता में वृद्धि के समुचित अवसर की उपलब्धता न होने जैसे कारणों से चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञों के पदों की रिक्तता निरंतर बनी रहती है।

2/ उपर्युक्त क्षेत्रों में चिकित्सा की बेहतर सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि :-

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को उनके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की कुल राशि का 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से "व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता" स्वीकृत किया जाय।


(ब) छोटे कस्बों में स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञों को 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से "व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता" स्वीकृत किया जाय।

(स) यह भत्ता अन्य किसी भी प्रकार की पात्रता यथा, सेवानिवृत्ति परिलाभ, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, गैर व्यावसायिक भत्ता आदि के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा।

(द) अवकाश अवधि में यह भत्ता देय नहीं होगा।

3/ उपर्युक्त भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 (माह जुलाई, 2017 का वेतन जो माह अगस्त, 2017 में देय होगा) से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव


2017 मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-2/2015/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2017

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
8. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
9. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
10. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजया चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग